

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/72

प्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता रूकमा देवी पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 18.06.2015 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 28.12.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 18.06.2015 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान ओमप्रकाश पुत्र मनफूलराम एवं सुरेन्द्र पुत्र सोहनलाल ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रिशीपाल जोशी ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।  
जिला पंजीयक महोदय

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
28/13